संख्या-38/2019/1176/12-3-2019-100(60)/2013

प्रेषक

डा0 रामचन्द्र शुक्ल,
अनु सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-3 **लखनऊ:: दिनांक: 24 सितम्बर, 2019**

विषय:- नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-दलहन/251/ने0फू0सि0मि0/2019-20, दिनांक 09.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष-2019-20 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-11 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष धनराशि रू0 4995.95 लाख (रू0 **उनचास करोड़ पच्चानबे लाख पच्चानबे हजार मात्र**) निम्नानुसार शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रू0 में)

अनुदान सं0/लेखाशीर्षक	मानक मद	प्राविधान	वर्तमान में प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति
अनुदान सं0-11 के लेखाशीर्षक 2401- फसल कृषि कर्म-102-खाद्यानों की फसलें 01-केन्द्र प्रायोजित योजनाएं-0102-नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन	**07-मानेदय**	**353.58**	**53.04**
	27 सब्सिडी	**18959.81**	**4802.17**
	42-अन्य व्यय	**370.32**	**0.00**
	44-प्रशिक्षण	**269.99**	**54.05**
	आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	**577.86**	**86.69**
	योग	**20531.56**	**4995.95**

(रू0 उनचास करोड़ पच्चानबे लाख पच्चानबे हजार मात्र)

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण नियमानुसार किया जाएगा तथा पूर्व में उक्त लेखाशीर्षक/मानक मद में एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 तथा 2019-20 में निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराने के उपरांत ही प्रश्नगत धनराशि व्यय की जाएगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि को आहरित/व्यय करने के पूर्व अपने स्तर से यह सुनिश्चित करेंगे कि भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार प्रश्नगत योजना की कार्ययोजना पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त है तथा इसकी धनराशि आहरित/व्यय करने हेतु अधिकृत है।

4- वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/14, दिनांक 22.7.2014 में निहित शर्तो तथा वित्त आय-व्ययक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2- 2528/दस- 2014-10-77, दिनांक 26.8.2014 के प्रस्तर-5 एवं 9 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय करने से पूर्व कड़ाई से सुनिश्चित कराया जायेगा।

5- स्वीकृत की जा रही उक्त धनराशि का उपयोग नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइड लाइन/निर्देश तथा भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कार्य योजना के अनुमोदित कार्यो पर व्यय किया जाएगा। धनराशि का व्यय केवल उन्ही मदों पर किया जायेगा जिस मद के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा आय-व्ययक में प्राविधानित है। किसी अन्य भिन्न मद में न ही इसका व्यय किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका डायवर्जन किया जायेगा। यदि किसी मद में व्यय करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा कार्य योजना में प्राप्त न हो तो उसकी सूचना शासन में उपलब्ध करायी जाय। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा पत्र सं0-20-32/2017-NFSM(CA-V), 24.05.2019 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त की सूचना शासन को ससमय उपलब्ध करायी जायेगी।

6- योजनान्तर्गत व्यय की जाने वाली उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर मासिक/त्रैमासिक आधार पर भौतिक/वित्तीय प्रगति सहित शासन/भारत सरकार को उपलब्ध करायी जायेगी। कृषि निदेशक द्वारा द्वारा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति न हो। पात्र किसानों को अनुदान/सब्सिडी के रूप में भुगतान सुसंगत नियमों के अन्तर्गत यथाशीघ्र किया जायेगा तथा इसमें किसी प्रकार की उदासीनता अक्षम्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

7- स्वीकृत धनराशि संभावित व्यय की फेजिंग, कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार की जाय, जहां तक संभव हो, व्यय की फेजिंग वित्तीय वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रतिमाह समान रूप से की जाय। आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय। यदि विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को संबंधित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एकमुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय, क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबंधन (कैश मैनेजमेंट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा अनावश्यक रूप से बैंकों में खाता खोलकर धनराशि जमा करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। शासन की पूर्वानुमति के बगैर कोई भी धनराशि बैंक खाते में नहीं रखी जाएगी। यदि इस प्रकार का कोई प्रकरण शासन के संज्ञान में आता है तो इसे गम्भीर वित्तीय अनियमितता मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

8- स्वीकृत की गयी उक्त धनराशि के व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी- 1-1195/दस-16/94, दिनांक 06.06.1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययता के संबंध में शासन के संगत विभागों द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टेण्डड्स ऑफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

9- वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-961/दस-2012-10(28)/2011, दिनांक 31 जनवरी, 2013 द्वारा वेतन/पेंशन के अतिरिक्त प्रदेश के कोषागारों में समस्त प्रकार के अन्य भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से किये जाने की व्यवस्था दिनांक 1.4.2013 से किये जाने का निर्णय लिया गया है। अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान ई-पेमेंट के माध्यम से सुनिश्चित किया जाय। वित्त लेखा अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1- 285/दस-2012-10(29)/2011टी.सी.-II, दिनांक 29 मई, 2012 द्वारा समस्त भुगतान NEFT/RTGS के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थियों के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तद्नुसार सुनिश्चित किया जाय।

10- कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ जनता के बीच योजनाओं का प्रचार एवं प्रसार सुनिश्चित करेंगे। उक्त योजना का पूरा विवरण वेवसाइट पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजना का Impact assessment कराया जायेगा और उसका समुचित फीडबैक दिया जायेगा। योजना के कार्य पूर्ण हो जाने पर योजना की कार्यो की पूर्णता का पूरा विवरण उपलब्ध कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जाय तथा लाभार्थियों की सूची एवं उन्हें दिये गये लाभ का रेण्डम आधार पर भौतिक सत्यापन सुनिश्चित कराया जाय। लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु मुख्यालय/जनपद स्तर के संबंधित परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

11- स्वीकृत धनराशि का व्यय सुसंगत वित्तीय/क्रय नियमों/प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ का होगा तथा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 एवं यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा शासनादेश दिनांक 01.09.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-01/2019/बी-1-170 /दस-2019-231/2019, दिनांक 22.03.2019 के निर्देशों/प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

12-स्वीकृति धनराशि का आहरण एक मुश्त न करते हुए सुसंगत नियमों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार किया जायेगा तथा प्रस्तावित/निर्गत वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी, यह सुनिश्चित करने तथा प्रस्ताव में उल्लिखित आकड़ों की शुद्धता/केन्द्रांश की उपलब्धता सुनिश्चित करने का उत्तरदायित्व कृषि निदेशक, उ0प्र0 लखनऊ का होगा। वस्तुओं के क्रय विषयक दिशा-निर्देशों, सुसंगत वित्तीय निमयों एवं स्टोर पर्चेज रूल्स का अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा सेवाओं के भुगतान से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आउटसोर्सिंग के सम्बन्ध में जारी निर्देशो एवं वित्त/श्रम विभाग द्वारा जारी सुसंगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

13-उक्त धनराशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जायेगा तथा उक्त धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखा जायेगा। कृषि निदेशक अपने स्तर पर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि भारत सरकार द्वारा अवमुक्त/पुर्नवैध कर दी गयी है तथा नियमानुसार व्यय हेतु उपलब्ध है। तदोपरान्त ही धनराशि का आहरण करते हुए व्यय किया जायेगा।

14- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2017/बी-1-02/दस-2017- 231/2017, दिनांक 02.01.2017 एवं 1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018, यथासंशोधित कार्यालय ज्ञाप संख्या-03/2018/बी-1-438 /दस-2018-231/2018, दिनांक 24.04.2018 तथा शासनादेश सं0-01/2019/बी-1-170 /दस-2019-231 /2019, दिनांक 22.03.2019 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.nic.in

सं**0-38/2019/1176(1)/12-3-2019-**तद्दिनांक**:-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार,(लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।

3- सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

4- संयुक्त सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

5- अवर सचिव, भारत सरकार कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली।

6- समस्त मण्डलायुक्त को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त की प्रतियां अपने अधीनस्थ समस्त जिलाधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि वे अपने जनपद के समस्त जनप्रतिनिधियों (मा. मंत्रीगण, मा. सांसद, मा. विधायक आदि) को शासनादेश की प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि जनप्रतिनिधियों द्वारा योजना का लाभ पात्रों को दिलाये जाने में सहयोग किया जा सके।

7- अपर कृषि निदेशक (चावल), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

8- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, लखनऊ।

10-सम्बन्धित परियोजनाधिकारी, कृषि भवन, लखनऊ।

11-सहायक निदेशक (कम्प्यूटर एवं समन्वय) कृषि भवन, लखनऊ।

12-वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-1/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3

13-शासनादेश की वेबसाइट http://shasanadesh.up.nic.in पर अपलोड करने हेतु।

14-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डा0 रामचन्द्र शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in